प्रेस विज्ञप्ति
21.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दक्षिण अंडमान के साइबर अपराध पुलिस थाना द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की है। यह प्राथमिकी एक नीदरलैंड स्थित संस्था द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने निवेशकों को रियायती दरों पर क्रिप्टो टोकन (मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि) उपलब्ध कराने का झूठा आश्वासन देकर उनसे धन प्राप्त किया, जबकि उन्हें वादा किए गए टोकन पूर्ण रूप से कभी उपलब्ध नहीं कराए गए।

आरोपों के अनुसार, मोहम्मद वसीम, सौरभ दीवान तथा वैभव गुप्ता नामक आरोपियों ने निजी टेलीग्राम समूहों, व्यक्तिगत बैठकों तथा झूठी साख का उपयोग कर शिकायतकर्ता का विश्वास अर्जित किया। प्रारंभ में उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के छोटे ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेन-देन सफलतापूर्वक संपन्न कर शिकायतकर्ता को जानबूझकर कहीं अधिक राशि निवेश करने के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने झूठा दावा किया कि उन्हें मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि प्रमुख क्रिप्टो परियोजनाओं से अत्यधिक रियायती दर पर प्रत्यक्ष टोकन आवंटन की सुनिश्चित उपलब्धता प्राप्त है।

शिकायतकर्ता से कई मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करने के बाद, बाजार में तेजी आने पर आरोपियों ने अचानक वादा किए गए डिजिटल टोकनों की आपूर्ति बंद कर दी तथा निर्धारित आवंटन उपलब्ध नहीं कराया। क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से प्राप्त यह बहु-मिलियन डॉलर निवेश बेंगलुरु स्थित रविन्द्र के. के पास पहुंचाया गया, जो जांच में ओटीसी सौदों का मुख्य सूत्रधार पाया गया।

मामले में कार्यप्रणाली का खुलासा करने के उद्देश्य से ईडी ने दिनांक 18.07.2026 एवं 19.07.2026 को विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान निम्नलिखित कार्यप्रणाली सामने आई–

(क) आरोपी स्वयं को क्रिप्टो उद्योग में **"की ओपीनियन लीडर"** के रूप में प्रस्तुत करते थे।

(ख) आरोपी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वेबसाइट आदि सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रारंभिक टोकन निर्गम एवं निजी प्लेसमेंट का प्रचार-प्रसार करते थे।

(ग) वे दावा करते थे कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ अपने संबंधों के माध्यम से वे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रारंभिक टोकन निर्गम/निजी प्लेसमेंट में रियायती दर पर टोकन आवंटन उपलब्ध करा सकते हैं।

(घ) वे निवेशकों को अपने माध्यम से इन टोकनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे।

(ङ) वे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में निवेशकों से अत्यधिक लाभ का प्रलोभन देकर वीडीए के रूप में धन एकत्रित करते थे।

(च) वे निवेशकों को वादा किए गए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का आवंटन उपलब्ध नहीं कराते थे अथवा वादा किया गया प्रतिफल नहीं देते थे।

(छ) आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी आदि के माध्यम से अर्जित अपराध से प्राप्त आय का उपयोग आरोपी चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश, व्यक्तिगत व्यय तथा व्यावसायिक उद्देश्यों सहित अन्य निजी प्रयोजनों के लिए करते थे।

पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत की गई तलाशी के दौरान अपराध से अर्जित आय को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त डिजिटल उपकरणों एवं ई-मेल वॉलेट्स सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। तलाशी के दौरान अपराध से अर्जित आय के रूप में **8700 यूएसडीटी** मूल्य की वर्चुअल डिजिटल **परिसंपत्तियां** भी जब्त की गईं।

तलाशी के दौरान यह भी सामने आया कि इस धोखाधड़ी का वास्तविक मूल्य लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एफआईआर में उल्लिखित लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कहीं अधिक है। जांच में यह भी पाया गया कि अनेक विदेशी संस्थाओं एवं निवेशकों के साथ भी आरोपियों ने इसी प्रकार की धोखाधड़ी की है। हालांकि, इन संस्थाओं एवं निवेशकों द्वारा अभी तक कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

मामले में आगे की जांच जारी है।